प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 12.11.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामकुमार अग्रहरी पुत्र रामप्यारे निवासी निकट मुखलिसपुर चौक अयोध्या सिंहगली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत बभनईया टोला(महुली) से कालर द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (1.शिवम मिश्रा पुत्र लालचन्द्र मिश्रा ग्राम बभनईया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल उक्त व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रदीप यादव, हो0चा0 इन्द्रासन।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 489 वाहनों से 4,89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 489 वाहनों से 4,89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2000रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,जिसका विवरण निम्नवत है-

मु0अ0सं0 346/2024 धारा 65(2), 351(2), 352 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से संबन्धित 01 अभियुक्त को दण्डित किया गया।

अभियुक्त- मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मोहम्मद निवासी कथकपुरवा दरियाबाद जनपद संतकबीरनगर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व कुल 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया कराया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.11.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा एक अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना दुधारा पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर प्र0नि0 श्री जयप्रकाश दूबे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 346/2024 धारा 65(2), 351(2), 352 बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मोहम्मद निवासी कथकपुरवा दरियाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना उपरोक्त को धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के अपराध में एक अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 27000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.11.2025 को ***माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा गैर इरादतन हत्या के अपराध में एक अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 27000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 289/2023 धारा 323, 504, 506, 304 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रकेश पुत्र कोईल निवासी कड़जा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 304 की उपधारा 2 के तहत 04 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 323 भादवि में 06 माह के सश्रम कारावास, धारा 506 भादवि में 06 माह के सश्रम कारावास तथा कुल 27000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना दुधारा पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर वादिनी के पति छोटेलाल पुत्र बीपत निवासी कड़जा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को मारने पीटने, जिससे वादिनी के पति की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं मेंआरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान **5.0** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 392/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5e/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित बाल अपचारी को आज दिनाँक 12.11.2025 को उसके बाघनगर प्लांट तिराहा के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 11.11.2025 को थाना दुधारा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ वादिनी के देवर द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 12.11.2025 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, का0 राधेश्याम गिरी, का0 उदय प्रताप सिंह
*

थाना धनघटा पुलिस ने दिखाई मानवता — आत्महत्या करने जा रही महिला की बचाई जान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। दिनाँक 12.11.2025 को थाना धनघटा क्षेत्र अन्तर्गत एक महिला आत्महत्या करने के उद्देश्य से सरयू नदी के पुल से कूदकर जान देने जा रही थी, जिसे मौके पर मौजूद थाना धनघटा पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए रोककर उसकी जान बचाई गई। महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर थाना प्रभारी निरीक्षक *श्री जय प्रकाश दुबे* एवं महिला आरक्षी सीता यादव द्वारा काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह आवेश में घर से निकलकर बिडहरघाट पुल की ओर चली गई थी। बिडहरघाट चौकी पर नियुक्त हे0का0 अशोक कुमार व का0 सुमित पटेल ने महिला को पुल पर रोते हुए देखकर रोक लिया और प्रेमपूर्वक बात कर स्थिति को संभाला। तत्पश्चात परिजनों को बुलाकर महिला को उनके सुपुर्द किया गया तथा भविष्य में किसी समस्या की स्थिति में तत्काल पुलिस की मदद लेने की सलाह दी गई। परिजनों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित एवं मानवीय कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

***पुलिस टीम का विवरण*-** प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री जय प्रकाश दुबे, हे0का0 अशोक कुमार, का0 सुमित पटेल, महिला आरक्षी सीता यादव।